



संसद टीवी वशिष्ठ: वन संरक्षण

प्रलिस के लयल:

वनॉ पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (United Nations Forum on Forests- UNFF), वनों के लयल संयुक्त राष्ट्र रणनीतकल योजनल, वन परबंधन , गरीन करेडलटल प्रोगरलम, संयुक्त राष्ट्र आरथकल और सलमलजकल परषलद, पर्यलवरणीय स्थरलतल, सलमलवेशी वकलस, उतुतुतलदकतल, "वन सदलधलंत" और 1992 में एजेंडल 21, सतत वकलस के लयल 2030 एजेंडल, ISFR 2021, जलवलयु परवलरतन पर राष्ट्रीय कर्य योजनल, (National Action Plan on Climate Change- NAPCC), परततुूरक वनरोपण नधल (Compensatory Afforestation Fund- CAMPA), पश्चलमी घलट, आदवलसी (वन अधकलरों कल मलनयतल) अधनलयलम, 2006

मेन्स के लयल:

भलरत में वनों को संरक्षतल करने से जुड़े मुददों और चुनौतयलों पर चरचल कलजयल ।


चरचल में कर्यो?

हलल ही में भलरत ने न्यूयॉरक में आयोजतल वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (United Nations Forum on Forests- UNFF) के 19वें सतुर में भलग लयल और इस सतुर में वशल्व सतुर पर वनों को संरक्षतल करने कल ततुकलल आवश्यकतल पर चरचल कल गई ।

वनॉ पर 19वें संयुक्त राष्ट्र फोरम (United Nations Forum on Forests- UNFF) कल मुख्य बलतें क्यल हैं?

- फोकस कषेत्र:
 - वन परबंधन में स्थलनीय सतुदलयों को शलमलल करने और वनों के ललभों कल दृश्यतल बढलने पर ध्यलन केंदरतल कयल गयल है ।
- वन कवररेज:
 - वन जैववलयधलतल, पलरसलथतलकल तंतुर संतुलन और जलवलयु परवलरतन के परभलवों को कम करने के लयल महतुतुवतुूरण है, जलवैश्वकल भूमल कषेत्र के 31% हसलसे को कवर करते हैं ।
- भलरत कल वन रषलरुट:
 - भलरत कल वन रषलरुट में वन एवं वृकष आवरण कषेत्र, मैंगरोव कषेत्र और करबन सटॉक में वृदुधल परकलश डलल गयल है, जो संरक्षण पर्यलसों को दरशलतल है तथल वन कषेत्र में वृदुधल के मलमले में वशल्व सतुर पर तीसरे स्थलन पर है ।
- भलरत के पर्यलस:
 - भलरत ने जैववलयधलतल और वन्यु जलवन संरक्षण पर जुर दयल, प्रोजेकट टलडुगर प्रोजेकट एवं प्रोजेकट एलीफैंट जैसी उपलबुधयलों कल जशन मनलयल तथल वृकषलरोपण एवं भूमल पुनरुदुधलर को प्रोतुसलहतल करने के लयल गरीन करेडलटल प्रोगरलम शुरु कयल ।
- UNFF 19 घलषणल:
 - इसकल सलमलपन वनों के लयल संयुक्त राष्ट्र रणनीतकल योजनल को अपनलते हुए वरुष 2030 तक वनों कल कटलई, वन कषरण और भूमल कषरण को रोकने कल घलषणल के सलथ हुआ ।

The areas of the world most vulnerable to desertification and why



वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (United Nations Forum on Forests- UNFF) क्या है और इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

परिचय:

- यह [संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद \(United Nations Economic and Social Council- UNESCO\)](#) द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित एक अंतर-सरकारी नीतिमंच है, UNFF में सार्वभौमिक सदस्यता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं।
- यह "सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास" को आगे बढ़ाने तथा इस लक्ष्य के प्रतिस्थायी राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिये समर्पित है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 1992 में "[वन सन्धि](#)" और वर्ष 1992 में [एजेंडा 21](#) को अपनाया।
- वन सन्धियों को वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक लागू करने के लिये वनों पर अंतर-सरकारी पैनल (1995) और वनों पर अंतर-सरकारी फोरम (1997) का गठन किया गया।
- UNFF की स्थापना वर्ष 2000 में [यूनेस्को](#) के एक कार्यात्मक आयोग के रूप में की गई थी।
 - UNFF ने वर्ष 2006 में वनों पर चार वैश्विक उद्देश्यों पर सहमति व्यक्त की और इसका उद्देश्य है:
 - सतत् वन प्रबंधन (SFM) के माध्यम से विश्व भर में वन क्षेत्र की हानि को उलटना।
 - वन-आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना।

- स्थायी रूप से प्रबंधित वनों के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
- SFM के लिये आधिकारिक विकास सहायता में गशिबट को उलटना और इसके कार्यान्वयन के लिये अधिक वित्तीय संसाधन जुटाना।
- UNFF ने वर्ष 2007 में सभी प्रकार के वनों पर संयुक्त राष्ट्र के गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण (वन उपकरण) को अपनाया, जिसका उद्देश्य सतत वन प्रबंधन के लिये वित्तपोषण पर नरिणय लेना है, जिससे वन वित्तपोषण में 20 वर्ष की गशिबट को पलटने में देशों की सहायता के लिये एक सुवधाजनक प्रक्रिया का नरिमाण कया जा सके।
 - वर्ष 2009 के प्रारंभ में लघु द्वीपीय वकिसशील राज्यों (SIDS) और कम वन क्षेत्र वाले देशों (LFCC) पर ध्यान केंद्रित कया गया।
- संयुक्त राष्ट्र वन मंच (UNFF) को वर्ष 2011 में "फारेस्ट फॉर पीपल" वषिय के साथ अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में नामित कया गया था।

वनों के लिये संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना (वर्ष 2017-2030) क्या है?

- अनुसमर्थन: जनवरी 2017 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के एक वशेष सत्र के दौरान इसका अनुसमर्थन कया गया, यह ऐतहासिक समझौता वर्ष 2030 तक वैश्विक वनों के लिये एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
 - एक उल्लेखनीय उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाना है, जो 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि के बराबर है, जो फ्रांस के आकार से दोगुने से भी अधिक है।
- छह वैश्विक वन लक्ष्य:
 - लक्ष्य 1: संरक्षण, पुनरस्थापन, वनरोपण और पुनःवनरोपण सहित सतत वन प्रबंधन उपायों के माध्यम से वशिव भर में वन आवरण की हानि को रोकना।
 - लक्ष्य 2: वनों से प्राप्त होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना तथा वन-आश्रित समुदायों की आजीविका में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करना।
 - लक्ष्य 3: वशिव भर में संरक्षित वनों के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करना तथा स्थायी रूप से प्रबंधित वन क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
 - उद्देश्य: इसका उद्देश्य सतत वन प्रबंधन को आगे बढ़ाना तथा सतत विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में वनों और वृक्षों की भूमिका को मज़बूत करना है।
 - लक्ष्य 4: सतत वन प्रबंधन को समर्थन देने तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने के लिये सभी स्रोतों से नए व अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।
 - लक्ष्य 5: सतत वन प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिये अनुकूल शासन ढाँचे को बढ़ावा देना।
 - लक्ष्य 6: शासन के सभी स्तरों पर वन-संबंधी मुद्दों पर सहयोग, समन्वय, सुसंगत और तालमेल को मज़बूत करना।
- वर्ष 2030 एजेंडा के सिद्धांत: यह लक्ष्य वर्ष 2030 एजेंडा के सिद्धांतों में नहित है, योजना स्वीकार करती है कि पर्याप्त परिवर्तन के लिये संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे के भीतर और बाहर दोनों जगह दृढ़, सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।



United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030

GLOBAL FOREST GOALS



भारत में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की वभिन्न पहल क्या हैं?

- **भारत वन स्थितिरिपोर्ट (ISFR) 2021:** देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) वन आवरण का **द्विवार्षिक मूल्यांकन** करता है।
 - नवीनतम **ISFR 2021** के अनुसार भारत का **वन एवं वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर** है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का **24.62%** है, जो ISFR 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये पहल:

- **हरति भारत के लिये राष्ट्रीय मशिन:**
 - हरति भारत के लिये राष्ट्रीय मशिन **फरवरी 2014** में शुरू किया गया था और यह **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत आठ मशिनों में से एक है।
 - इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकटों से राष्ट्र के जैविक संसाधनों और उनसे जुड़ी आजीविका की रक्षा करना है।
 - पछिले पाँच वर्षों में वनरोपण प्रयासों को समर्थन देने के लिये सत्रह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश को **755.28 करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं।



- **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP):**
 - **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (National Afforestation Programme - NAP)** का उद्देश्य नमिनीकृत वनों और आस-पास के क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना है, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम अब ग्रीन इंडिया मिशन (Green India Mission) का हिस्सा है।
 - इसे **वर्ष 2000 से** नमिनीकृत वन भूमि पर वनीकरण के लिये क्रयान्वति किया जा रहा है।
- **मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम:**
 - वर्ष 2001 में तैयार इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीकरण की बढ़ती समस्या से निपटना और आवश्यक उपाय लागू करना है।
 - इसकी देखरेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- **नगर वन योजना (NVY):**
 - यह वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक शहरी और गैर-शहरी क्षेत्रों में **600 नगर वन तथा 400 नगर वाटिका** बनाना है।
 - इस पहल का उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना, **जैवविविधता** को संरक्षित करना तथा शहरी निवासियों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण नधिप्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA):**
 - इसका उपयोग **राज्यों/संघ राज्य** क्षेत्रों द्वारा विकास परियोजनाओं के लिये वन भूमि के उपयोग को संतुलित करने के लिये **प्रतिपूरक वनीकरण हेतु** किया गया।
 - प्रतिपूरक वनीकरण नधि (Compensatory Afforestation Fund- CAF) का 90% राज्यों को आवंटित किया जाता है, जबकि केंद्र 10% अपने पास रखता है।
- **वन संरक्षण अधिनियम, 1980:**
 - इसमें यह प्रावधान किया गया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषिवानिकी का अभ्यास करने के लिये **केंद्रीय अनुमति आवश्यक** है। इसके अलावा **उल्लंघन या परमिट की कमी** को एक **अपराध माना** गया।
 - इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैवविविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा।
- **राष्ट्रीय वन नीति, 1988:**
 - **राष्ट्रीय वन नीति**, वन प्रबंधन प्रथाओं में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन उपायों को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
 - यह विशेष रूप से वन-निर्भर समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन पर जोर देता है।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006:**
 - **वन-वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।

वन और इसका वर्गीकरण क्या है?

- **परभाषा:**
 - किसी भी केंद्रीय वन अधिनियम, जैसे कि भारतीय वन अधिनियम (1927) या वन संरक्षण अधिनियम (1980) में 'वन' शब्द की कोई

वशिष्ट परभाषा नहीं दी गई है।

• केंद्र सरकार ने वन की परभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिये कोई मानदंड स्थापित नहीं किया है।

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत राज्यों को अपने क्षेत्रों में आरक्षण वनों को नामित करने का अधिकार है।
- सर्वोच्च न्यायालय के टी.एन. गोदावरम थरिमुलपाद बनाम भारत संघ 1996 के नरिणय में कहा गया है कि वनों की अपनी परभाषा नरिधारित करना प्रत्येक राज्य की ज़िम्मेदारी है।

■ वन का वर्गीकरण:

○ आरक्षण वन श्रेणी:

• यह प्रत्यक्ष सरकारी पर्यवेक्षण के अधीन है, आरक्षण वन मवेशियों को चराने के प्रयोजनों हेतुसार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हैं और इस श्रेणी के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 4,34,853 वर्ग किलोमीटर है।

○ संरक्षण वन श्रेणी:

• इसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है और संरक्षण वन स्थानीय समुदायों को वन उपज एकत्र करने तथा बना करिी महत्त्वपूर्ण क्षति के मवेशियों को चराने की अनुमति देते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 2,18,924 वर्ग किलोमीटर है।

○ असुरक्षण वन श्रेणी:

• इसे अवर्गीकृत वन माना जाता है, जहाँ वृक्षों की कटाई या वेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस श्रेणी के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 1,13,642 वर्ग किलोमीटर है।

○ बंजर भूमि:

• ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार, देश में कुल बंजर भूमि 5,57,665.51 वर्ग किलोमीटर है।

• बंजर भूमि से तात्पर्य रेगसितानी भूमि से नहीं है, बल्कि उस भूमि से है जो कृषि, वाणज्यिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में नहीं आती है, या जसि वन भूमि के रूप में नामित किया गया है।

भारत में वन संरक्षण का क्या महत्त्व है?

■ आर्थिक योगदान:

- भारतीय वन, इमारती लकड़ी, गैर-इमारती वन उत्पादों और पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाँस के जंगल स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

■ पारस्थितिकी तंत्र संरक्षण:

- भारतीय वन जल वनियमन, मृदा संरक्षण और कार्बन पृथक्करण जैसी महत्त्वपूर्ण पारस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- उदाहरण के लिये, पश्चिमी घाट के वन दक्षिणी राज्यों में जल चक्र को वनियमित करने और मृदा अपरदन को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

■ जैवविविधता हॉटस्पॉट:

- भारत में जैवविविधता प्रचुर मात्रा में है तथा यहाँ के वनों में अनेक पादप और पशु प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- उदाहरण के लिये, बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरवन के मैंग्रोव वन प्रतिष्ठित रॉयल बंगाल टाइगर का घर है।

■ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य:

- वभिन्नि भारतीय समुदायों के लिये वन अत्यधिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व रखते हैं तथा उनकी आजीविका एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न अंग हैं।
- उदाहरण के लिये, मध्य प्रदेश की गोंड जनजातियों का अपने वन क्षेत्रों से गहरा संबंध है।

वन संरक्षण से संबंधित वभिन्नि चुनौतियाँ क्या हैं?

■ क्षेत्र की पहचान और उपलब्धता:

- नमिनीकृत क्षेत्रों के चयन के लिये नशिचिति दशिा-नरिदेशों का अभाव और वशिष रूप से वविधि कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बहाली के लिये उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने में कठनाई।

■ हतिधारकों का संघर्ष:

- ग्रामीणों, सामुदायिक नेताओं और सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों सहित हतिधारकों के बीच हतियों का टकराव।

■ वत्ततीय बाधाएँ:

- पुनर्रस्थापना गतिविधियों, हतिधारक सहभागिता और आजीविका समर्थन के लिये अपर्याप्त वत्तितपोषण तथा पुनर्रस्थापना परियोजनाओं की उच्च लागत, मापनीयता एवं दीर्घकालिक सफलता में बाधा उत्पन्न करती है।

■ गरीबी और पारस्थितिकी क्षरण:

- गरीबी और वन क्षरण के मध्य अंतरसंबंध लगभग 275 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जसिमें भारत की 21.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है तथा जीविका के लिये वनों पर नरिभर है।

■ जागरूकता और समझ:

- वन संरक्षण और सतत प्रबंधन प्रवृत्तियों के महत्त्व के संबंध में जागरूकता की कमी तथा वनों के पारस्थितिकी महत्त्व एवं आजीविका पर उनके प्रभाव की अपर्याप्त समझ।

आगे की राह

■ वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना:

- समुदाय द्वारा प्रबंधित वनों का एक नेटवर्क स्थापित करना स्थानीय समुदायों को उनके आस-पास के वनों की सुरक्षा और देखरेख की ज़िम्मेदारी सौंपकर उन्हें सशक्त बनाता है।
- यह दृष्टिकोण समुदाय के सदस्यों के बीच स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है और वन संरक्षण प्रयासों में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

■ संधारणीय वानिकी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना:

- चयनात्मक कटाई और पुनर्वनीकरण जैसी सतत वानिकी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है कि वनों का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि उनकी पारस्थितिकि अखंडता बनी रहे।
- इन प्रवृत्तियों को अपनाकर, वनों का उपयोग सतत रूप से किया जा सकता है जबकि उनकी जैवविविधता और पारस्थितिकि तंत्र सेवाएँ बनी रहती हैं।

■ संरक्षण के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information Systems-GIS) जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से वन क्षेत्र की नगिरानी, वनाग्नि का पता लगाने तथा संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है।
- इसके अतिरिक्त अज्ञात वन क्षेत्रों में संभावित संसाधनों का मानचित्रण करने से उनका वैज्ञानिक प्रबंधन और स्थायी संसाधन नष्टिकरण संभव होता है, जिससे वन घनत्व एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है।

■ समरूपि वन गलियारे स्थापित करना:

- समरूपि वन गलियारे बनाने से वन्यजीवों की राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच सुरक्षित आवाजाही की सुविधा मिलती है, जिससे उनके आवास बाह्य बाधाओं से सुरक्षित रहते हैं।
- ये गलियारे जैवविविधता तथा पारस्थितिकि तंत्र संबद्धतांक (Connectivity) की सुरक्षा करते हुए मनुष्यों व वन्यजीवों के मध्य शांतपूरण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं।

■ वन-आधारित उत्पादों का महत्त्व:

- वन-आधारित उत्पादों के मूल्य को पहचानना समुदायों को साल के बीज, महुआ के फूल या तेंदू के पत्तों जैसे संसाधनों के उचित मूल्यों के बदले में वन संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजातों और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत का एक विशेष राज्य नमिनलखिति विशेषताओं से युक्त है: (2012)

1. यह उसी अक्षांश पर स्थित है, जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है।
2. इसका 80% से अधिक क्षेत्र बन आवसणान्तरगत है।
3. 12% से अधिक वनाच्छाति क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है।

नमिनलखिति राज्यों में से कौन-सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है?

- (a) अरुणाचल प्रदेश
- (b) असम
- (c) हमिचल प्रदेश
- (d) उत्तराखंड

उत्तर: (a)

?????????

प्रश्न. "भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवधानीकरण है।" सुसंगत वाद वधियों की सहायता से इस कथन की वविचना कीजिये। (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sansad-tv-vishesh-save-forest>

